सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

चैत्र 25, बुधवार, *शाके* 1948- अप्रेल 15, 2026

Chaitra 25, Wednesday, Saka 1948- April 15, 2026

भाग 6 (ख)

जिला बोर्डो, परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी, विज्ञप्तियां आदि

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

अधिसूचना

जयपुर, जनवरी 29, 2026

संख्या जविप्रा/उपा./जोन-12/2025/डी-280 :-बीपीसी-एलपी की 409वीं बैठक दिनांक 26.09.2025 में प्रकरण में दीनदयाल उपाध्याय स्मारक के पास सुलभ यातायात के दृष्टिगत जोनल विकास योजना की 30मीटर सडक के अलाईमेन्ट A-B-Cको संषोधित करते हुये उक्त अलाईमेन्ट को P-Q-R-S प्रस्तावित करने का निर्णय लिया गया।

बीपीसी-एलपी की 409वीं बैठक दिनांक 26.09.2025 में लिए गये निर्णय की पालना में जविप्रा की धारा 25 (3) की सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन समाचार पत्र दैनिक भास्कर व महानगर टाइम्स में दिनांक 11.10.2025 को आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु जारी की गई, प्रकरण में जारी सार्वजनिक सूचना के विरूद्ध कोई आपत्ति प्राप्त नही हुयी है।

प्रकरण को बीपीसी-एलपी की 416वीं बैठक दिनांक 19.11.2025 में लिये गये निर्णयानुसार जिसमे समिति द्वारा "जविप्रा के अधिनियम 1982 की उप धारा 25 (4) की कार्यवाही हेतु नियमानुसार प्रक्रिया अपनाते हुये अधिसूचना जारी किये जाने की अनुमति प्रदान की गई। समिति द्वारा जोन उपायुक्त को निर्देशित किया गया कि प्रश्नगत प्रकरण जोनल विकास योजना की सडक के एलाईमेंन्ट से संबंधित होने के कारण प्रारूप अधिसूचना को जविप्रा स्तर पर गठित कार्यकारी समिति की बैठक में अनुमोदित करवाते हुए उक्त का अनुमोदन अध्यक्ष महोदय, जविप्रा से प्राप्त किया जावें।" उक्त के क्रम में प्रकरण को कार्यकारी समिति की 258वीं बैठक दिनांक 18.12.2025 में रखा जाकर अधिसूचना के प्रारूप का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

-:30 मीटर सड़क के एलाईमेन्ट के संबंध में निर्णयः-

माननीय अध्यक्ष महोदय जविप्रा से दिनांक 18.01.2026 को अनुमोदन प्राप्त होने पर जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 25 की उपधारा (4) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दीनदयाल उपाध्याय स्मारक के पास सुलभ यातायात के दृष्टिगत जोनल विकास योजना की 30 मीटर सडक के अलाईमेन्ट A-B-C को संषोधित करते हुये उक्त अलाईमेन्ट को P-Q-R-S किया जाता है।

यह विज्ञप्ति आज दिनांक 29.01.2026 को जारी की गई। उक्त अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक एवं राज्य के 2 प्रमुख समाचार पत्रो में प्रकाशित होने के पश्चात ही मान्य होगी।

उक्त अधिसूचना का विस्तृत विवरण जविप्रा की वेबसाईट https://jda.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है।

निशान्त जैन,

सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।